



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276991
CG-DL-E-09102026-276991

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5294]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5294]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5506(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के वांकानेर बाईपास खंड के विकास हेतु कि.मी. 0.000 से कि.मी. 9.500 (कलेक्टर कार्यालय, जिला सेवा सदन, शोभेश्वर रोड, मोरबी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एस.एल.ए.ओ.-ओ/ओ कलेक्टर-मोरबी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मोरबी जिले में NH 27 के कि.मी. 0 से कि.मी.9.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: मोरबी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वांकानेर					
गांव का नाम: पंचासर					
1	127/2	सरकारी	(फोरेस्ट डिपार्टमेंट)	0.0913 (हेक्टेयर)	0.0913
गांव का नाम: हसनपर					
2	127/1	सरकारी	(रोड)	0.3027 (हेक्टेयर)	0.3027
3	128/1	सामान्य	(कृषि/गौचर/ गामतल/कुआं)	0.6106 (हेक्टेयर)	0.6106
4	16	सरकारी	(गैर कृषि/मार्ग)	0.0022 (हेक्टेयर)	0.0022
5	72	सामान्य	(कृषि/ पोट खराबो मार्ग)	0.0437 (हेक्टेयर)	0.0437
6	73	सरकारी	(पोट खराबो मार्ग)	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
7	74	सामान्य	(गैर कृषि/एनएचएआई)	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
8	75	सामान्य	(कृषि/एनएचएआई)	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
9	76	निजी	(गैर कृषि)	0.0097 (हेक्टेयर)	0.0097
गांव का नाम: भोजपारा विंडी					
10	61/7	सरकारी	(गौचर)	0.1679 (हेक्टेयर)	0.1679
गांव का नाम: वघासीया					
11	123	सामान्य	(पडतर/कृषि)	0.8467 (हेक्टेयर)	0.8467
12	124	सामान्य	(पडतर/कृषि)	0.7374 (हेक्टेयर)	0.7374
13	126	सरकारी	(पडतर)	0.468 (हेक्टेयर)	0.468
14	127	सरकारी	(पडतर)	1.254 (हेक्टेयर)	1.254
15	128	निजी	(डग वैल)	0.4581 (हेक्टेयर)	0.4581
16	129	सरकारी	(पडतर)	0.5346 (हेक्टेयर)	0.5346

17	130	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	1.1253 (हेक्टेयर)	1.1253
18	131	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	0.9904 (हेक्टेयर)	0.9904
19	132/1	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	0.0527 (हेक्टेयर)	0.0527
20	132/2	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	0.0918 (हेक्टेयर)	0.0918
21	135	निजी	(कृषि)	0.0261 (हेक्टेयर)	0.0261
22	172/2	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
23	173	निजी	(कृषि)	1.5871 (हेक्टेयर)	1.5871
24	174	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	1.3227 (हेक्टेयर)	1.3227
25	18	सरकारी	(गौचर)	0.8939 (हेक्टेयर)	0.8939
26	183	निजी	(गैर कृषि)	0.0103 (हेक्टेयर)	0.0103
27	184	निजी	(गैर कृषि)	0.3899 (हेक्टेयर)	0.3899
28	185	सरकारी	(पड़तर)	0.6692 (हेक्टेयर)	0.6692
29	186	सरकारी	(पड़तर)	0.3468 (हेक्टेयर)	0.3468
30	187/1	सामान्य	(पड़तर/कृषि/गैर कृषि)	1.0636 (हेक्टेयर)	1.0636
31	187/2	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	1.2279 (हेक्टेयर)	1.2279
32	188	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	0.2734 (हेक्टेयर)	0.2734
33	19	सरकारी	(पड़तर)	3.4483 (हेक्टेयर)	3.4483
34	55	सरकारी	(पड़तर)	3.1506 (हेक्टेयर)	3.1506
35	59	सामान्य	(पड़तर/कृषि)	0.2349 (हेक्टेयर)	0.2349
36	60	सरकारी	(पड़तर)	0.2761 (हेक्टेयर)	0.2761
37	61	सामान्य	(पड़तर/कृषि/गैर कृषि)	0.2734 (हेक्टेयर)	0.2734
38	62	सामान्य	(पड़तर/कृषि/गैर कृषि)	0.6376 (हेक्टेयर)	0.6376
39	64	निजी	(कृषि)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
40	Road	सरकारी	(रोड)	0.6973 (हेक्टेयर)	0.6973
Total					24.339

[फा. सं. wankaner Bypass/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5506(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four/Six lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of land from Km. 0.000 to Km. 9.500 of Development of Wankaner Bypass Section of NH-27 (Collector office, Jilla Seva Sadan,

Shobheshwar Road, Morbi) in the district of MORBI in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SLAO-O/o Collector-Morbi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures, falling land from Km. 0.000 to Km. 9.500 of Development of Wankaner Bypass Section of NH-27 in the district of Morbi in the state of Gujarat.

State: GUJARAT			District: MORBI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Wankaner					
Village: Panchasar					
1	127/2	Government	(Forest Deapartment)	0.0913 (Hectare)	0.0913
Village: Hasanpar					
2	127/1	Government	(Road)	0.3027 (Hectare)	0.3027
3	128/1	Common	(Agriculture/Gauchar/ Gamtal/Kuan)	0.6106 (Hectare)	0.6106
4	16	Government	(Non Agriculture/Marg)	0.0022 (Hectare)	0.0022
5	72	Common	("Agriculture /Pot Kharabo Marg")	0.0437 (Hectare)	0.0437
6	73	Government	(Pot Kharabo Marg)	0.0055 (Hectare)	0.0055
7	74	Common	(Non Agriculture/ NHAI)	0.0051 (Hectare)	0.0051
8	75	Common	(Agriculture/NHAI)	0.0072 (Hectare)	0.0072
9	76	Private	(Non Agriculture)	0.0097 (Hectare)	0.0097
Village: Bhojpara Vidi					
10	61/7	Government	(Gauchar)	0.1679 (Hectare)	0.1679
Village: Vaghasiya					
11	123	Common	(Padtar/Agriculture)	0.8467 (Hectare)	0.8467
12	124	Common	(Padtar/Agriculture)	0.7374 (Hectare)	0.7374
13	126	Government	(Padtar)	0.468 (Hectare)	0.468
14	127	Government	(Padtar)	1.254 (Hectare)	1.254
15	128	Private	(Dug well)	0.4581 (Hectare)	0.4581

16	129	Government	(Padtar)	0.5346 (Hectare)	0.5346
17	130	Common	(Padtar/Agriculture)	1.1253 (Hectare)	1.1253
18	131	Common	(Padtar/Agriculture)	0.9904 (Hectare)	0.9904
19	132/1	Common	(Padtar/Agriculture)	0.0527 (Hectare)	0.0527
20	132/2	Common	(Padtar/Agriculture)	0.0918 (Hectare)	0.0918
21	135	Private	(Agriculture)	0.0261 (Hectare)	0.0261
22	172/2	Common	(Padtar/Agriculture)	0.002 (Hectare)	0.002
23	173	Private	(Agriculture)	1.5871 (Hectare)	1.5871
24	174	Common	(Padtar/Agriculture)	1.3227 (Hectare)	1.3227
25	18	Government	(Gauchar)	0.8939 (Hectare)	0.8939
26	183	Private	(Non-Agriculture)	0.0103 (Hectare)	0.0103
27	184	Private	(Non Agriculture)	0.3899 (Hectare)	0.3899
28	185	Government	(Padtar)	0.6692 (Hectare)	0.6692
29	186	Government	(Padtar)	0.3468 (Hectare)	0.3468
30	187/1	Common	(Padtar/Agriculture/ Non-Agriculture)	1.0636 (Hectare)	1.0636
31	187/2	Common	(Padtar/Agriculture)	1.2279 (Hectare)	1.2279
32	188	Common	(Padtar/Agriculture)	0.2734 (Hectare)	0.2734
33	19	Government	(Padtar)	3.4483 (Hectare)	3.4483
34	55	Government	(Padtar)	3.1506 (Hectare)	3.1506
35	59	Common	(Padtar/Agriculture)	0.2349 (Hectare)	0.2349
36	60	Government	(Padtar)	0.2761 (Hectare)	0.2761
37	61	Common	(Padtar/Agriculture/ Non-Agriculture)	0.2734 (Hectare)	0.2734
38	62	Common	(Padtar/Agriculture/ Non-Agriculture)	0.6376 (Hectare)	0.6376
39	64	Private	(Agriculture)	0.003 (Hectare)	0.003
40	Road	Government	(Road)	0.6973 (Hectare)	0.6973
Total					24.339

[F. No. wankaner Bypass/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director